ट

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक, भरतपुर

क्रमांक – जिशिअ/मुमा/भरत/खेल–कूद/2024/2164 दिनांक –01/07/2024

1. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भरतपुर
2. समस्त संस्था प्रधान राउमावि/रामावि/राउप्रावि भरतपुर

विषय – खेलकूद गतिविधियों एवं शारिरिक शिक्षकों को विभागीय मापदंड अनुसार कालांश/कार्य के सफल संचालन हेतु दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिले में खेलकूद गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. विभाग द्वारा निर्धारित कालांश भार के अनुसार स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के कालांश ही शारीरिक शिक्षक को दिये जावे।
2. शारीरिक शिक्षक द्वारा विद्यालय में प्रतिदिन खेलकूद गतिविधियाँ आयोजित की जायें।
3. प्रत्येक विद्यालय से जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में कम से कम एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेना अनिवार्य है। भाग नहीं लेने वाले विद्यालय के संस्था प्रधान/शारीरिक शिक्षक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।
4. पोषाहार , निशुल्क पाठ्य पुस्तक, एस0आई0क्यू0ई0, कक्षाध्यापक एवं पुस्तकालय से संबंधित कार्य से शारीरिक शिक्षक को पूर्णतः मुक्त रखा जावे।
5. खेलकूद प्रतियोगिताओं के दौरान जिन शा0शि0 को चयन/निर्णायक एवं व्यवस्थार्थ प्रतिनियुक्त किया जाता है उन्हें संबंधित संस्था प्रधान अनिवार्यतः कार्यमुक्त करें।
6. अगर विद्यालय में स्टाफ की कमी है तो शा0शि0 की रूचि के अनुसार विषय अध्यापन का कार्य दिया जावे। अन्यथा उसे सामान्य विषयों के अध्यापन से मुक्त रखा जावे।
7. विद्यालय में खेल कूद हेतु प्राप्त मद का उपयोग शा0शि0 से माँग पत्र के अनुरूप उसकी सहयोग लेते हुए क्रय की जावे।

1/7/24

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय मा0/प्रा0 भरतपुर
दिनांक –01/07/2024

क्रमांक – जिशिअ/मुमा/भरत/खेल–कूद/2024/2164
प्रतिलिपी– निम्न को सूचनार्थ
1. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर
2. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय मा0/प्रा0 भरतपुर